Remove Watermark Now

फार्म का मूल्य रू. 500/–

आवेदित जिला

आवेदन – प्रपत्र

नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति

pdfelement

(वर्ष 2015 – 2016 से 2017–18)

राज्य के सभी जिलो के लिये नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्ध विक्रेता हेतु प्रस्ताव

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन,तृतीय तल, जनपथ, जयपुर –302005

दूरभाष संख्या 5108518, 2227665, 2227514 फैक्स 0141.2227513, 2227147 तार : राजसीड्स

Remove Watermark Now

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर– 5

नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति हेतु आवेदन

(कृपया पूरा और स्पष्ट विवरण दें। जो आपके संदर्भ में लागू न हो उसको काट दें। यदि कहीं स्थान कम हो तो अलग सादे कागज पर विवरण संलग्न करें।)

खण्ड – क सामान्य

1. संस्थान का नाम : ....
2. पत्र व्यवहार का पता : ....
3. स्थायी/पंजीकृत पता : ....
4. दूरभाष : ....
5. मोबाइल नम्बर : ....
6. फैक्स नं. एवं ईमेल का पता : ....
7. कार्यकारी दिवस : ....
8. कार्यालय समय : ....
9. स्वामित्व की स्थिति : एकल स्वामित्व/साझा व्यवसाय/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सहकारी संस्थान

(जो लागू न हो उसे कृपया काट देवे)

pdfelement

(कृपया उपरोक्त के साक्ष्य में आवश्यक कागजातो का उल्लेख करते हुए संलग्न करें जैसे : पार्टनरशिप डीड/आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन आदि)

10. फर्म का जी.एस.टी./टिन नम्बर (सेल्स टैक्स): ....

11. प्रमुख निर्णयकर्ता/ कार्यकारी अधिकारी :–

क.सं.	नाम	उम्र	पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	दूरभाष	मोबाईल नम्बर
1							
2							
3							

खण्ड – ख : बुनियादी सुविधाएं :

12. कर्मचारियों की कुल संख्या : ....

(क) प्रत्येक कर्मचारी से सबंधित विवरण यथा नाम, उम्र, पद, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और वर्तमान कार्य की जिम्मेदारियों का विवरण संलग्नक एक पर अलग से देने का कष्ट करें।

Remove Watermark Now

13. मुख्य कार्यालय की भौगोलिक स्थिति तथा उपलब्ध स्थान :...
....

14. कुल उपलब्ध गोदामों व बिक्री केन्द्रों की संख्या गोदाम......................बिक्री केन्द्र..................

(कृ. संलग्नक – दो पर प्रत्येक गोदाम एवं विक्रय केन्द्र की भोगोलिक स्थिति उपलब्ध स्थान, पूरा पता व प्रभारी का नाम आदि विवरण दें)

खण्ड – ग – पिछली उपलब्धियॉ :

15. आप द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद (कृ. ब्रांड/आपूर्तिकर्ता संस्था के नाम भी लिखें)

1. .... 2. .... 3. ....

4. .... 5. .... 6. ....

16. आपूरित किये जाने वाले क्षेत्र : ....

17. संस्थायें जिनका माल बेच रहे है :–

1. .... 2. .... 3. ....

4. .... 5. .... 6. ....

18. बीज लाइसेंस नम्बर व मान्यता तिथि **(फोटोप्रति संलग्न करें):** ....

19. उर्वरक लाइसेंस नम्बर व मान्यता तिथि : ....

20. पौध संरक्षण लाइसेन्स नम्बर व मान्यता तिथि...

21. रा.रा.बी.नि. के अधिकृत विक्रेता नियुक्ति पत्र सं..........दिनांक......... पुनर्मान्यता अवधि.........

(कृ.बीज लाईसेंस व निगम के अधिकृत विक्रेता नियुक्ति/पुनर्मान्यता पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)

pdfelement

22. प्रपत्र शुल्क रूपये 500/– की रसीद सं. .... दिनांक ....

(निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में राशि रू0 500/– का डी.डी. अलग से संलग्न करना अनिवार्य है)।

23. अमानत राशि रूपये 25,000/– की रसीद सं. .... दिनांक ....

अथवा

डी.डी./पे. आर्डर सं. .... दिनांक ....

जारीकर्ता बैंक ....

(उक्त धरोहर राशि अधिकृत विक्रेता धरोहर राशि के अतिरिक्त है। सभी डी.डी./पे ऑर्डर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो0 लि0, जयपुर के नाम देय होंगे।)

24. क्या आपका कृषि आदान यथा बीज उर्वरक एवं पौध संरक्षण गत् 2 वर्षो में कभी अमानक पाया गया यदि हां तो विवरण देवे :

क्रम संख्या	नाम कृषि आदान	वर्ष	अमानक की संख्या	कुल लिये गये नमूनो की संख्या

25. क्या आपका कभी आवश्यक वस्तु अधिनियम में चालान हुआ (यदि हां तो ब्यौरा दें)

Remove Watermark Now

....

....

....

26. पिछले चार वर्षो में आवेदित क्षेत्र/राज्य में बेचे गये बीज मात्रा का विवरणः (संस्था वार अलग–अलग)

2011–2012...

2012–2013 ....

2013–2014...

2014–2015 ....

(कृ. प्रत्येक फसल और किस्म का दिए हुए प्रपत्र के अनुसार संलग्न तीन पर अलग से पूर्ण विवरण दें)

खण्ड – घ – वित्तीय विवेचना :

- कृपया अपने प्रमुख बैक से संलग्नक चार पर दिये अनुसार विवरण संलग्न करे।
- पिछले चार वर्षो का आवेदित क्षेत्र/राज्य का टर्न ओवर (संस्था वार अलग अलग)

2011–2012...

2012–2013 ....

2013–2014...

2014–2015 ....

(कृपया अपने प्रमुख बैंक से संलग्नक – चार पर दिये अनुसार विवरण संलग्न करें)

pdfelement

खण्ड – च – राजस्थान राज्य बीज निगम (रा.रा.बी.नि.) के साथ प्रस्तावित व्यवसाय :

29 राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन के साथ नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्व विक्रेता के रूप में अनुमानित प्रस्तावित व्यवसाय

- जिला जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे है..............................
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित लक्ष्यः (राशि रूपये में)..
- रा.रा.बी.नि. के बीजो का अनुमानित विक्रय विवरण सलंग्नक पॉच पर दिये गये प्रपत्र के जिला अनुसार फसल ओर किस्मवार देने का कष्ट करे। यह विवरण आवश्यक है।
- बीज निगम के सम्बन्धित संयंत्र प्रबंधक से अदेयता प्रमाण पत्र कर संलग्न करे।

  कुल संलग्नकों की संख्या ....

30 आप द्वारा बीज व्यवसाय से सम्बन्धित खुदरा विक्रेताओ की कुल संख्या..................................

(क्रय. संलग्नक 06 पर दिये गये प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विवरण दे)

31 क्या आप रा.रा.बी.नि. की वर्तमान व भविष्य की शर्तो को मानने के लिये तैयार है ?

Remove Watermark Now

(नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति हेतु नियम व शर्तो परिशिष्ट – अ पर संलग्न)

32 कुल संलग्नको की संख्या ....

नोट : नॉन एक्सक्लूसिव विक्रेता नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप एक प्रति परिशिष्ट – अ को मय हस्ताक्षर के संलग्न करना अनिवार्य है।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील

pdfelement

Remove Watermark Now

संलग्नक – एक

(कर्मचारियों से संबंधित विवरण)

क.स.	नाम मय पिता का नाम	आयु वर्ष	पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	वर्तमान कार्य से संबंधित जिम्मेदारियों का विवरण	मोबाईल नम्बर
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

pdfelement

विक्रेता का नाम

हस्ताक्षर एवं सील

Remove Watermark Now

संलग्नक – दो

(गोदामों एवं विक्रय केन्द्रों का विवरण)

प्रथम खण्ड – गोदामों का विवरण :– भौगोलिक स्थिति :– पूर्ण विवरण नजरिया नक्शे समेत देवे।

क.सं.	भौगोलिक स्थिति	उपलब्ध स्थान	पता तथा फोन नं.	प्रभारी का नाम
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

द्वितीय खण्ड – विक्रय केन्द्रो का विवरण :

क.सं.	भौगोलिक स्थिति	उपलब्ध स्थान	पता तथा फोन नं.	प्रभारी का नाम
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

pdfelement

विक्रेता का नाम

हस्ताक्षर एवं सील

Remove Watermark Now

संलग्नक – तीन

(ब्रिकी किये गये बीजों का विवरण)

क्र. सं.	मौसम	फसल	किस्म	वितरण का क्षेत्र/राज्य	मात्रा (क्विंटल में)				विशेष टिप्पणी (किस संस्था का बीज बेचा)
					2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

विक्रेता का नाम

हस्ताक्षर एवं सील

pdfelement

Remove Watermark Now

संलग्नक – चार

(प्रमुख बैंक से व्यवसाय का विवरण)

1. बैंक का नाम : ....

2. बैंक का पता : ....

....

3 माइकर कोड संख्या :..

4 खाता संख्या : ....

(कृपया निम्न विवरण बैंक के अधिकारी सत्यापित करें)

5. बैंक के नकद शेष का विवरण : ....

वर्ष	औसत न्यूनतम रोकड रूपये	औसत अधिकतम रोकड रूपये	सामान्य औसत रोकड रूपये	विशेष टिप्पणी
2011–2012				
2012–2013				
2013–2014				
2014–2015				

pdfelement

6. वर्तमान नकद साख की सीमा : ....

7. सावधि ऋण की स्वीकृत राशि : ....
(यदि कोई हो)

8. कार्यशील पूंजी ऋण की स्वीकृत राशि : ....
(यदि कोई हो)

9. सामान्य स्थिति में फर्म/संस्थान, सर्व श्री ....
की व्यवसायिक क्षमता लगभग रूपयें ....प्रति वर्ष है और इस फर्म/संस्थान की उधार सीमा लगभग रूपये..प्रति वर्ष तक की होनी चाहिए।

स्थान :

दिनांक : ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर व सील

<u>संलग्नक – पांच</u>

राजस्थान राज्य बीज निगम के बीजों का प्रस्तावित विक्रय विवरण वर्ष 2015–2016

(कृपया प्रत्येक वर्ष हेतु फसल /किस्म/सीजनवार अलग–अलग संपूर्ण विवरण निम्न प्रारूप में दें)

Remove Watermark Now

क.सं.	वर्ष	फसल	किस्म	क्षेत्र/राज्य	वाछिंत मात्रा (क्विंटल में)	अनुमानित मूल्य (रूपये)	आपूर्ति की वांछित तारीख (अनुमानित माह व वर्ष)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

pdfelement

विक्रेता का नाम

हस्ताक्षर एवं सील

Remove Watermark Now

संलग्नक – छः

(बीज व्यवसाय से संबंधित खुदरा विक्रेता)

क.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पता व फोन नं.	कब से सम्बद्ध है	पिछले वर्ष का व्यवसाय (रू.) में
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

pdfelement

विक्रेता का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

Remove Watermark Now

परिशिष्ट – अ

नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्व विक्रेता की नियुक्ति संबंधी नियम व शर्ते

1. वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा फसल एवं किस्मवार प्रमाणित/ सत्यचिन्हित बीजो के विक्रय मात्रा के प्रस्ताव मय अनुमानित राशि एवं अंतिम संभावित उठाव तिथि के निगम को प्रत्येक सीजन के डेढ माह पूर्व क्षैत्रीय /संयंत्र प्रबन्धक व मुख्यालय को दिये जायेंगे। जिसकी पुष्टि मुख्यालय आवंटन व अन्तिम उठाव तिथि के आधार पर क्षैत्रीय/संयंत्र प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित विक्रेता को की जावेगी।
2. अनुमानित राशि की गणना हेतु निगम के घोषित विक्रय मूल्य अथवा इसके अभाव में गत वर्ष के विक्रय मूल्य का आधार होंगा।
3. निगम एवं बीज विक्रेता के स्तर पर फसल किस्म में अधिकतम 20 प्रतिशत तक का परिवर्तन हो सकता है परन्तु कारोबार राशि अपरिवर्तनीय होगी। अर्थात बीज विक्रेता अधिकतम 20 प्रतिशत मात्रा तक एक फसल किस्म के बदले दूसरी किस्म अथवा दूसरी फसल किस्म का बीज उपलब्धता के आधार पर प्राप्त कर सकता है।
4. प्रतिबद्ध विक्रेता को प्राथमिकता पर बीज उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्वीकृत बीज उठाव कार्यक्रम मे इकतरफा परिवर्तन ना तो निगम द्वारा किया जा सकेगा ओर ना ही प्रतिबद्व विक्रेता द्वारा अर्थात् निगम द्वारा सूचित नियत तिथि तक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा माल नही उठाने पर निगम द्वारा यह बीज अन्य विक्रेताओ को दे दिया जावेगा तथा आरक्षित राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्ध विक्रेता के कारोबार लक्ष्य के बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगें। नॉन एक्सक्लूसिव प्रतिबद्ध विक्रेताओं को लक्ष्य कारोबारी आवंटन बीज निगम द्वारा न देकर प्रतिबद्ध विक्रेता प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु स्वयं का कारोबारी लक्ष्य स्वयं प्रस्तावित करें।
6. आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा निगम से स्वीकृत क्षेत्र हेतु कारोबार लक्ष्य निगम के प्रमाणित /सत्यचिन्हित बीजो से किया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा स्वघोषित लक्ष्य के अनुरूप कारोबार नहीं होने पर लक्ष्य से कम की उपलब्धि पर 2 प्रतिशत की शास्ति वसूलनीय होगी।
8. प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा स्वयं के द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष के कारोबारी लक्ष्य का डेढ़ गुना लक्ष्य (150 प्रतिशत) तक के कारोबार पर प्रचलित विपणन नीति अनुसार कमीशन/परिलाभ देय होंगे। डेढ़ गुने (150 प्रतिशत) से अधिक के कारोबार पर पुनः नया कारोबार मानते हुए प्रचलित विपणन नीति अनुसार कमीशन/परिलाभ प्रारम्भिक स्तर से देय होंगे। कारोबारी लक्ष्य पूरे नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति लगेगी (बिन्दु संख्या–7)।
9. (क) अधिकाधिक बीज विक्रय के प्रयास एवं परिणाम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन परिलाभ देय होंगे। प्रोत्साहन परिलाभ के लिए फर्म द्वारा गत चार रनिंग वर्षो में से अधिकतम कारोबार के 3 वर्षो के औसत कारोबार से भी अधिक कारोबार करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन परिलाभ देय होंगे

    - औसत से 110 प्रतिशत या अधिक – सम्पूर्ण कारोबार पर 0.25 प्रतिशत
    - औसत से 120 प्रतिशत या अधिक – सम्पूर्ण कारोबार पर 0.5 प्रतिशत
    - औसत से 125 प्रतिशत या अधिक – सम्पूर्ण कारोबार पर 1.00 प्रतिशत

    उपरोक्त तीनों श्रेणियों में एक ही अधिकतम श्रेणी का प्रोत्साहन परिलाभ देय होगा।

    (ख) नवीन नियुक्त प्रतिबद्ध विक्रेता के औसत की गणना उसके द्वारा राजसीड्स के अधिकृत विक्रेता के रूप में किये गये कारोबार (गत 4 वर्षो में से बेहतरीन 3 वर्षो का औसत) या गत 3 वर्षो के बीज व्यवसाय के ऑडिटेड़ बैलेंस शीट में अंकित कारोबार के औसत कारोबार के आधार पर की जायेगी।

    (ग) प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा विक्रय किये गये अनुदानित बीज के संदर्भित वर्ष के सभी विक्रय के पूर्ण प्रमाणन उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित परिलाभ देय होंगे।

pdfelement

Remove Watermark Now

10. बीज विक्रय को सुगम बनाने के उद्धेश्य से एक साथ 45 क्विंटल अथवा अधिक मात्रा एक साथ उठाने पर, प्रतिबद्ध विक्रेता को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी अधिकृत विक्रेता/नामांकित विक्रेता की प्रमुख दुकान/गोदाम तक एफ.ओ.आर. सुविधा देय होगी। अधिकृत विक्रेता को सीधे निगम से बीज उठाने की दशा में उक्त सुविधा उसके पंचायत समिति तक तथा नामांकित विक्रेता को उसके दुकान /गोदाम तक देय होगी। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित क्षैत्र के क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबन्धक द्वारा की जावेगी । 5 कि.ग्रा. पैकिंग साईज के बीजों की 25 क्विं से अधिक मात्रा हेतु एफ.ओ.आर. पेटे इकाई की अनुमोदित परिवहन दरों पर प्रतिबद्ध विकेता को परिवहन व्यय का समयोजन क्रय बिल में ही किया जाए।
11. अग्रिम आरक्षण योजना परिलाभ मुख्यालय द्वारा घोषित किये जाने पर ही एवं उसकी शर्तो के अनुरूप ही लागू माने जावेंगे।
12. फर्म को बीज आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. द्वारा राशि होने पर तथा ड्राफ्ट/चैक आधार पर उपलब्ध करवाया जावेगा। उधार बीज देने का कोई प्रावधान नहीं होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से भुगतान में 3 कार्यकारी दिन से अधिक के विलम्ब पर 18 प्रतिशत वार्षिक आधार पर ब्याज की गणना की जाकर सम्बन्धित विक्रेता से वसूलनीय होगी।
13. भारत सरकार एवम् राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाएॅ यथा एन.एम.ओ.ओ.पी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन आदि के अन्तगर्त अनुदानित दर पर वितरण किये गये फसल/किस्म के बीजों की कृषकों की सूचियॉ निर्देशानुसार सामान्य वर्ग ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवम् अन्य पिछडा वर्ग सहित नियत समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवम् योजनाओं के निर्देशों की भी पालना करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक फसल/ सीजन/वर्षान्त का हिसाब बनाकर सम्बन्धित कार्यालय को हिसाब मिलान एवं शेष भुगतान हेतु, देना आवश्यक होगा। योजना के दिशा निर्देशानुसार कृषक सूचियॉ सही नही होने एवं अनुदान राशि प्राप्त नही होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रतिबद्ध विकेता से नियमानुसार अनुदान राशि की वसूली की जाएगी।
14. प्रतिबद्ध विक्रेता/अधिकृत विक्रेता अपने मूल जिले/ क्षेत्र हेतु ही आवेदन करने के पात्र होंगे तथा अन्य जिलें/क्षेत्र के आवेदन करने के पात्र नही होगें ;अर्थात् एक प्रतिबद्ध विक्रेता/अधिकृत विकेता एक ही क्षेत्र/जिलें हेतु नियुक्त होगें। एक विक्रेता अधिकतम एक क्षेत्र/जिले हेतु ही आवेदन करने का पात्र होगा।
15. प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा सम्बन्धित वर्ष के दावे अगले वित्तीय वर्ष 1 मार्च से 30 अप्रैल की अवधि में निगम मुख्यालय को अपना वार्षिक विक्रय प्रस्ताव जिसमें स्वयं द्वारा निर्धारित कारोबारी लक्ष्य Monetary Terms में अंकित हों प्रस्तुत करेंगे। इस अवधि के बाद प्राप्त किये दावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

16. अधिकृत बीज विक्रेता जो प्रतिबद्ध विक्रेता हेतु आवेदन कर रहे है को 25,000 रूपये बतौर न्यूनतम अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् स्वघोषित व स्वीकृत लक्षित कारोबार की राशि का 2 प्रतिशत (उक्त जमा रूपये 25000/– को समायोजित करते हुए) जमा करवानी होगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। अधिकृत एवं प्रतिबद्ध बीज विक्रेता की अमानत राशि पृथक–पृथक जमा होगी।

pdfelement

Remove Watermark Now

17. अन्य शर्ते अधिकृत विक्रेता पर लागू शर्तो के अनुसार ही प्रतिबद्ध विक्रेता पर भी लागू होगी।
18. प्रतिबद्ध विक्रेताओ द्वारा दूसरे प्रतिबद्ध विक्रेता के क्षेत्र में विक्रय करने पर प्रथम प्रकरण में उस क्षेत्र के सम्बन्धित विक्रेता के सकल कारोबार में उक्त ट्रांजेक्शन की राशि की गणना की जावेगी। पुनः ऐसे दूसरे प्रकरण पर प्रतिबद्ध विक्रेता की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
19. आवेदनकर्ता फर्म द्वारा दी गई सूचना असत्य होने या स्वयं द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की स्वीकृति उपरान्त सहमति नहीं देने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति को बगैर कारण अवगत् कराये निरस्त करने आवेदित क्षेत्र में परिवर्तन ;अधिक/कम करने एक जिले/क्षेत्र में एक या अधिक की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड को निहित है।
21. निगम की प्रत्येक इकाई पर अधिकतम स्वघोषित राशि के लक्ष्य वाले प्रतिबद्ध विक्रेता को प्राथमिकता से अनारक्षित बीज उपलब्ध करवाया जायेगा। द्वितीय, तृतीय इसी क्रम में अधिकतम स्वघोषित लक्ष्य देने वाले प्रतिबद्ध विक्रेता को इकाई पर उपलब्ध चअनारक्षित बीज उपलब्ध करवाने में क्रमशः प्राथमिकता दी जायेगी।

हमने/मैंने प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति की उपरोक्त शर्तो को स्वस्थ चित्त से पढ ली है तथा समझ ली है। हम/मै इससे पूर्णतया सहमत है/हूं। हमारा प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति प्रस्ताव उपरोक्त शर्तानुसार ही दिया जा रहा है।

आवेदक का नाम

आवेदन कर्ता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर मय सील व दिनांक

नोटः– आवेदन प्रपत्र के सभी पृष्ठो पर आवेदनकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

pdfelement